खाद्य सुरक्षा विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
ए–20, लारेंस रोड, औघोगिक क्षेत्र, दिल्ली –35

संख्या – 7988 to 7991 दिनांक: 20-12-

आदेश

सभी विभागाध्यक्ष व कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय का कार्य समय प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक है । कार्यालय में बायो–मैट्रिक मशीन लगाई जा चुकी है सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति प्रातः 9.30 बजे आने की तथा सांय 6.00 बजे कार्यालय छोड़ने की अंगूठा लगा कर (thumb impression) दर्ज करनी है ।

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने आने की उपस्थिति प्रातः 9.45 तक अंगूठा लगा कर (thumb impression) दर्ज करनी है तथा उसके बाद आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को लेट माना जायेगा । लेट पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा नियमानुसार उनके वेतन से कटौती की जायेगी ।

पदनामित अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी /क्षेत्रीय सहायक का कार्यालय कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यदि वे कार्यालय परिसर में हैं तो वे अपनी उपस्थिति की सूचना अंगूठा लगा कर (thumb impression) अपने कार्यालय छोड़ने की रिपोर्ट सांय 6.00 बजे दर्ज करेंगें । यदि वे क्षेत्र में कार्यरत हैं तो वे कार्यालय से बाहर जाने के समय अपनी जाने की उपस्थिति दर्ज करके जायेगें।

यह आदेश आयुक्त(खाद्य सुरक्षा) की पूर्व सहमति के उपरान्त जारी किया गया ।

(सुरिन्द्र कुमार)
उप–निदेशक 14.12

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. निजी सचिव, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)
2. सभी विभागाध्यक्ष
3. गार्ड पत्रावली
4. सूचना पटल